रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67 / 2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

नव वर्ष मंगलमय हो BEH

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –2 ● कानपुर 16 से 31 जनवरी 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

अधिकार दिवस पर चिकित्सकों ने भरी हुँकार

अधिकार लागू कराने के लिये होगी आर–पार की लड़ाई

- पंजीयन हर हाल में कराने का संकल्प
- अधिकारिता का पूरी तौर पर होगा उपयोग
- चिकित्सकों को किया जायेगा प्रेरित
- उत्पीड़न के विरुद्ध होगा संघर्ष
- अब ज़्यादा समय नहीं दिया जायेगा
- मुख्यमंत्री से भी की जायेगी भेंट

अधिकार सम्पन्न इलेक्ट्रो होम्योपैथों के अधिकारों को सरकार द्वारा हर हाल में स्वीकार करना होगा तथा अधिकारियों की हीला–हवाली व दोहरी नीति किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जायेगी, इस तरह के विचार वक्ताओं द्वारा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश द्वारा 4 जनवरी, 2016 को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह के जयशंकर प्रसाद हॉल लखनऊ में आयोजित अधिकार दिवस समारोह में वक्ताओं द्वारा दिये गये।

आपको जानकारी होगी कि 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग–6 द्वारा प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिये शासनादेश जारी कर प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों को चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के अधिकार प्रदान किये थे, तबसे प्रति वर्ष 4 जनवरी का दिन अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है। इस वर्ष अधिकार दिवस की चौथी वर्षगाँठ है जिसे समारोह पूर्वक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया कार्यक्रम का प्रारम्भ मैटी वन्दना से हुआ, मैटी वन्दना इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक डा0 देवानन्द 'सागर' ने की, तत्पश्चात कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष तथा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी द्वारा माननीय अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया डा0 इदरीसी ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि प्रत्येक नागरिक को देश के संविधान के अनुसार अधिकार होते हैं हालांकि नागरिकों के अधिकार के साथ–साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं लेकिन प्रायः कहीं पर इनकी कोई चर्चा नहीं होती है सिर्फ़ अधिकारों की ही बात होती है, हम अधिकारों में केवल पेशे एवं व्यापार के अधिकार की बात कर रहे हैं जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) जी (6) के अन्तर्गत आता है इसमें स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों को उचित प्रतिबन्ध के साथ पेशे व व्यापार का अधिकार है। भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पेशे के रूप में देश की आज़ादी के समय से ही अपनायी जा रही है, जहाँ एक ओर जनता इससे लाभान्वित हो रही है वहीं इसमें लगे लोग स्वरोजगार के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं सबकुछ ठीक–ठाक चल रहा था। प्रदेश में सन् 1981 व 1982 में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक कालेजों के अर्जन व प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम पारित हुए और कानून लागू हुआ, इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अधिकारिता ही नहीं अपितु अस्तित्व का प्रश्न खड़ा किया जाने लगा। एक रिपोर्ट के आधार पर 1 जून 1984 को स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी की परिभाषा में अच्छादित नहीं है। इसलिए यह कानून इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रभावित नहीं करते, सन् 1988 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रोकने की बात नहीं कही गयी। सन् 1984 से 1992 तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अधिकारिता पर अनेक प्रश्न खड़े किये गये तमाम उतार–चढ़ाव के बाद सन् 1996 में एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में योजित की गयी जिसका निर्णय 18 नवम्बर,1998 को हुआ, निर्णय आदेश में माननीय न्यायालय ने केन्द्र / राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये जिसके अनुसार केन्द्र / राज्य सरकारों को निर्धारित बिन्दुओ पर कानून बनाना था, आज तक किसी भी राज्य सरकार ने इसमें कोई रूचि नहीं दिखायी अनेक प्रयासों के बाद केन्द्र सरकार ने 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जारी किया जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए दिशा निर्देश है। इस आदेश को मीडिया ने इस तरह प्रचारित किया कि मानो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर प्रतिबन्ध लग गया हो इस तरह का प्रकाशन लगातार कई दिनों तक होता रहा जिससे सामान्य जन के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों, शासन, प्रशासन और इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थायें / चिकित्सक भ्रमित हो गये, सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गयी, शासन ने निरोधात्मक आदेश जारी करने शुरू कर दिये, प्रशासन ने स्वयं ही कार्यवाही करना शुरू कर दी।

यह सबकुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर हो रहा था पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी थी आदेश प्राप्त किया गया, उसका अध्ययन किया गया और पाया यह गया कि इसमें रोक जैसी कोई बात नहीं है।

उत्तर प्रदेश शासन ने भी 01 जून, 2004 को एक शासनादेश जारी कर दिया, इस शासनादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी जो अभी लम्बित था प्रयासों के बाद 5 मई, 2010 को केन्द्र सरकार ने

फ़ोटो पेज 3 एवं शेष समाचार अंतिम पेज पर देखें

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक

डा0 काउण्ट सीज़र मैटी की 207 वीं वर्षगाँठ सहर्षोल्लास सम्पन्न

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सार्थक प्रचार व प्रसार की आवश्यकता

इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है परन्तु अभी भी इसके सार्थक प्रचार व प्रसार की आवश्यकता है यह जिम्मेदारी हम लोगों के साथ–साथ चिकित्सकों को भी निभानी होगी यह विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी के 207 वें जन्मोत्सव समारोह में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने व्यक्त किये।

कार्यक्रम का प्रारम्भ डा0 मैटी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रवज्लवन के साथ हुआ तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया।

बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने डा0 मैटी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आज की स्थिति पर अपने विचार दिये उन्होने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रासगिकता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सक इसी विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर जनता को स्वास्थ्य लाभ दें।

मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए डा0 इदरीसी ने कहा कि आज प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है जिन लोगों मध्य अभी भी जागरूकता का अभाव है उन्हें हम पुनः जागरूक करने का प्रयास करेंगे और चिकित्सकों से अपील भी करेंगे कि प्राप्त अधिकारिता की वह उपेक्षा न करें शासकीय उपेक्षा को समाप्त कराने के लिए हम प्रयासशील है माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सन्दर्भ में पत्र व्यवहार जारी है शीघ्र ही अच्छे परिणाम की घोषणा हो सकती है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बोर्ड के प्रवक्ता डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी ने कहा कि कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती है उसके लिए सतत प्रयास करने होते हैं और यही प्रयास रंग लाते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिन प्रतिदिन विकसित हो रही है परन्तु इसका वास्तविक विकास हम तभी मानेंगे जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सामान्य जन से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति इस चिकित्सा पद्धति को स्वीकारने लगे संकेत अच्छे आ रहे हैं परिणाम भी अच्छे आयेंगे।

कार्यक्रम में अपने विचार देते हुए डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि अब परिणामों की प्रतीक्षा नहीं करनी है परिणाम आते जा रहे हैं और यह परिणाम हम सबके उज्जवल भविष्य का संकेत भी दे रहे हैं जो लोग शासकीय सेवा की आस लगाये हैं उनकी आशा भी पूरी होगी जो आज कल्पना लग रही है कल वह वास्तविक रूप से दिखेगी इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डा0 संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सही दिशा में किया गया चिन्तन सही परिणाम देते हैं आज हमें परिणामों की चिन्ता किये बगैर कार्य के पथ पर अग्रसित होना चाहिये। विशिष्ट अतिथि डा0 दीपक सिन्हा ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उज्जवल भविष्य की कामना की। पास्टर एच0एल0 खोजी ने जन्मदिन का केक कटवाया जिसे श्रीमती शाहीना इदरीसी व श्री इदरीसी ने उपस्थित जनसमूह के बीच काटा फिर प्रार्थना हुई।

इस कार्यक्रम में डा0 राजेन्द्र प्रसाद, डा0 प्रमोद सिंह, डा0 अनिल शर्मा, मारिया इदरीसी, मो0 वसीम, मो0 नसीम इदरीसी, डा0 वाई0 आई0 खान, डा0 बी0 डी0 दीक्षित आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

भ्रम पालते लोग

इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज सर्वाधिक भ्रमपूर्ण स्थिति से गुज़र रही है स्थिति यह है कि कुछ लोगों को छोड़कर अधिकतर लोग किसी न किसी तरह का भ्रम पाले हुए हैं जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वह विकास नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिये देश और राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में आदेश तीन वर्ष से ज्यादा का समय पूरा कर चुके हैं लेकिन इतनी लम्बी अवधि के बावजूद भी अभी तक हमारे चिकित्सक के मध्य जो चेतना जागृत होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव है और इसी कारण चिकित्सक तो चिकित्सक संचालकों के मध्य भी आत्म विश्वास का भाव नहीं पैदा हो पा रहा है।

जब व्यक्ति में आत्म विश्वास की कमी होती है तो वह पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी एक तरह का भ्रम नहीं है लोगों में तरह–तरह के भ्रम हैं और यह भ्रम चन्द लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है और अब यह भ्रम इस कदर फैल चुका है कि लोग–बाग उबरने का प्रयास भी करते हैं तो वह अपने आप को मकड़जाल में फंसा हुआ पाते हैं कुछ भ्रमों के बारे में हम आपको कई बार जानकारियां दे चुके हैं और हम लगातार यह प्रयास भी करते रहते हैं कि हमारे चिकित्सकों का भ्रम के चलते हुए किसी तरह का कोई नुकसान न होने पाये।

सबसे बड़ा भ्रम वर्तमान में चिकित्सकों के मध्य मुख्यचिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन को लेकर है। बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए 5 अप्रैल से लगातार प्रदेश स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम में काफी संख्या में चिकित्सक भी जुड़ रहे हैं मनोयोग से बात भी सुनते हैं लेकिन जैसे ही अकेले पड़ते हैं उनकी मनास्थिति बदल जाती है और जागरूकता को कई कदम पीछे छोड़ देते हैं जिससे कि जो सफ़लतायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती हैं जब हम वस्तुस्थिति से स्वयं को अवगत कराते हैं तो तथ्य सामने उबर कर आते हैं वह काफी मनोरंजक व रोचक होते हैं हमने इसे कभी भी हलके पन से नहीं लिया क्योंकि मुख्यचिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन का कार्यक्रम सम्पादित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि चिकित्सा व्यवसाय करना है तो अपनी चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित सूचना सी0एम0ओ0 कार्यालय को देनी आवश्यक है पंजीकरण संख्या मिलना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि आवेदन प्रेषित करना ,जो लोग यह भ्रम पाले हैं कि सी0एम0ओ0 कार्यालय में पंजीयन सिर्फ मान्यता प्राप्त पद्धतियों का होना है उन्हें अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहिये और यह समझना चाहिये कि पंजीयन का मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है यह पंजीयन सिर्फ अधिकृत व अनाधिकृत के मध्य में भेद पैदा करता है यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो स्वंय को अनाधिकृत की श्रेणी में डाल देते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज स्थिति यह है कि यहाँ दो तरह की संस्थायें हैं एक अधिकार प्राप्त दूसरी वह जो अभी भी अधिकार प्राप्त करने के लिए सही समय की तालाश में है ऐसे लोग भी तरह–तरह के भ्रम फैला रहे हैं भ्रम फैलाने वालों का इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा लेकिन जो चिकित्सक है वह अवश्य परेशान होगा।

हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिये, भारत सरकार द्वारा चिकित्सा व्यवसाय हेतु क्लिीनिकल स्टेबलिशमेन्ट एक्ट नामक एक्ट बनाया गया है जिसे हर राज्य को अपने यहां लागू करना है यह सच है कि अभी तक प्रदेश में यह लागू नहीं है लेकिन वर्तमान सरकार ने इस एक्ट को प्रदेश में लागू करने का मन बना लिया है जिस दिन भी यह एक्ट प्रदेश में प्रभावी हो जायेगा उस दिन सिर्फ वही चिकित्सक प्रदेश में चिकित्सा कार्य हेतु वैध रहेंगे जिन्होंने पहले से ही अपने पंजीयन का आवेदन मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में दे रखा है जिन्होंने पंजीयन के लिए अभी भी आवेदन नहीं किया है वह चिकित्सक सारे भ्रमों से दूर रहकर सिर्फ अपने हित के लिए अपना आवेदन मुख्यचिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रेषित कर दें क्योकि प्रैक्टिस आप करते हैं भ्रम फैलाने वाले नेता नहीं।

जो भ्रम फैला रहे हैं वह फैलाते रहेंगे यदि आप भ्रम में फँसे तो नुकसान भी आप ही उठायेंगे।

कार्यवाही का डटकर करें मुक़ाबला

आजकल पूरे प्रदेश में एक बार फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा झोलाछाप चिकित्सकों के विरूद्वअभियान बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है इसकी सूचनायें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं इन कार्यवाहियों में एक बात प्रमुख रूप से उभर कर आ रही है कि जो चिकित्सक झोलाछाप की श्रेणी में चिन्हित किये जा रहे हैं उनके विरूद्वएक ही आरोप लगाया जा रहा है कि प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक ने अपने चिकित्सा कार्य करने हेतु सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को नहीं दी है दूसरे शब्दो में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। यह एक ऐसी आपत्ति है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि यह आरोप हमें झोलाछाप की श्रेणी से अलग करता है आपको यह बात पुनः जान लेनी चाहिये कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन हर शिक्षित, प्रशिक्षित व प्राधिकृत चिकित्सक को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है जो चिकित्सक ऐसा नहीं करेंगे भले ही वह मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हों स्वतः झोलाछाप की श्रेणी में आ जायेंगे अर्थात अब उत्तर प्रदेश में बिना मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन के आवेदन के चिकित्सा व्यवसाय नहीं कर सकता है।

पिछले दो वर्षो से बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया लगातार अपने स्तर से हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक को बताने का प्रयास कर रहा कि स्थानीय पंजीयन की महत्ता क्या है?और इसकी उपयोगिता क्या है ?हम प्रयास पर प्रयास लगातार कर रहे हैं कि हर एक चिकित्सक तक यह जानकारी पहुँचे, लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों इसलिए बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने गत 5 अप्रैल, 2015 से पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चला रहा है इस अभियान के द्वारा अब तक 12 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे हमारी योजना है कि हम हर जनपद के तहसील स्तर तक इस अभियान को पहुचावें ताकि वह चिकित्सक जो सूचनाओं से दूर हैं वह भी सूचित हों और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति को समझें तथा अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त हों।

आज भी हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं वह अभी भी अपने आप को असुरिक्षित महसूस करते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में बड़ी तेज़ी के साथ उभर रही है और हमारे चिकित्सक अपनी पूरी योग्यता के साथ अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को स्थापित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वहीं कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो प्राप्त अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझ कर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम बिना किसी आलोचना की परवाह किये सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा चिकित्सक जागरूक हो । जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि किसी वास्तविक झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही हो तो कार्यवाही उचित लगती है लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जो कि शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत है तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है और वह झोलाछाप की कार्यवाही में फंस जाता है तो बहुत कष्ट होता है क्योंकि झोलाछाप की कार्यवाही समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गिराती है और जिस कार्यवाही के आप अधिकारी नहीं हैं वह जरा सी नादानी/लापरवाही के कारण आपके ऊपर हो जाती है। तो निश्चित तौर पर विषय कष्ट का होता है। हमने जहाँ कहीं भी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किये हैं वहां पर एक ही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को चाहिये कि वह अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रेषित करें कुछ लोग हमारी बात से सहमत होते हैं और कुछ लोग हमारी सलाह का मज़ाक भी उड़ाते हैं, कहीं– कहीं तो यह आरोप भी लगाये जाते हैं कि बोर्ड द्वारा यह अभियान अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है जब इस तरह के बेबुनियाद तर्क हमारे पास आते हैं तो हमें कष्ट तो नहीं होता है बल्कि तरस आता है उन लोगों की ओछी मानसिकता पर जो इतने निम्न स्तर के विचार रखते हैं यहाँ पर हम यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे कि बोर्ड ने चिकित्सकों के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता है पहले दिन से हम यह कहते आ रहे है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके के लिए और हम इसी सिद्धान्त पर आज भी चल रहे है यह बात हर व्यक्ति को गाँठ बांध लेनी चाहिये कि आपको जिस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना है उस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु प्रचलित नियमो और कानूनो का पालन करना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश है कि प्रत्येक शिक्षित ,प्रशिक्षित व प्राधिकृत चिकित्सक अपने चिकित्सा व्यवसाय का पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में करेगा उच्च न्यायालय के इस निर्णय आदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी आदेश जारी किये जा चुके है। तो फिर हम यदि इस आदेश का पालन नहीं करते है तो न केवल असवैधानिक कार्य करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना भी करते है। हम इसी बात का प्रचार जागरूकता अभियान के द्वारा कर रहे है। हम अपने हर कार्यक्रम में आने वाले हर चिकित्सक से यही निवेदन करते है कि वह सर्वप्रथम अपना आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में करें चाहें वह किसी भी संस्था का हो हमारा पहला लक्ष्य चिकित्सकों को संरक्षण देना है संस्थाये अपने अधिकार व उपयोगिता सक्षम अधिकारी के सामने सिद्ध करेंगी हमें सिर्फ यह सिद्ध करना है कि हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अधिकारी है लेकिन यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करते है तो सबकुछ होने के बावजूद भी झोलाछाप की श्रेणी से अलग नहीं हो पायेगा।इसलिए यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम बिना किसी सोच विचार के वह काम करें जो कि एक अच्छे चिकित्सक के लिए आवश्यक है जिन लोगो के मन में ऐसी विचारधारा है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता नहीं मिलती है और कानून नहीं बनता है तब तक उन्हें किसी पचड़े में नहीं

निर्विवाद रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया ही अधिकारी

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7698 /2012 में पारित आदेश दिनांक 21–2–2012 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 19046 में पारित आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2015 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया **(इहमाई) के ही पक्ष में है।**

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 7698/2012 जो दिनांक 21–2–2012 को निरस्त कर दी गयी थी के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 19046/2012 योजित की गयी थी जिसमें 16 जुलाई, 2012 को स्थगन आदेश प्राप्त हो गया था, इस याचिका सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लाम्बित लगभग आधा दर्जन याचिकायें 22 जनवरी, 2015 को बल न देने के कारण निरस्त कर दी गयी थीं। विदित हो कि याचिका संख्या 19046 में इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया (इहमाई) **INTERVENOR/ RESPONDENT** की भूमिका में थी। इहमाई का कथन था कि न तो **ICMR** और न ही भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक लगायी है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2012 न्यायालय में लाम्बित अवमाननावाद संख्या 820/2002 से सम्बन्धित व प्रेरित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2015 सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया (इहमाई) के पक्ष में है। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के पत्र संख्या **V. 25011/110/2013-HR** दिनांक 3 नवम्बर, 2015 की सूचना अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिक संख्या 7698/2012 में पारित आदेश दिनांक 21–2–12 का मात्र स्पष्टीकरण किया गया है।

इस तरह से यह स्पष्ट हो चुका है कि सम्पूर्ण देश में वर्तमान में सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया और प्रदेश में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ही अधिकार प्राप्त संस्थायें है।

बी0ई0एच0एम0,यू0पी0 के चेयरमैन — अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत हुये।

बायें से दायें बी0ई0एच0एम0,यू0पी0 के चेयरमैन — डा0 एम0एच0 इदरीसी मुख्य अतिथि डा0 रमेश दीक्षित एवं सभाध्यक्ष मा0 भय्या जी छाया गज़ट

मुख्य वक्ता डा0 शमीम अहमद, सदस्य — भारतीय चिकित्सा परिषद

बायें से दायें डा0 शमीम अहमद, डा0 वाचस्पति त्रिवेदी,मुख्य अतिथि डा0 रमेश दीक्षित , सभाध्यक्ष मा0 भय्या जी एवं श्री के0के0 वत्स छाया गज़ट

माइक पर डा0 रमेश दीक्षित इन्सेट में श्री के0के0 वत्स एवं डा0 वाचस्पति त्रिवेदी, सभाध्यक्ष मा0 भय्या जी अध्यक्षीय भाषण देते हुये।

अधिकार दिवस पर .... प्रथम पेज से आगे

एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया जिसमें लिखा है कि 25 नवम्बर, 2003 के जारी आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसंधान एवं विकास में कोई रोक नहीं है। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डी0 के0 जोशी बनाम उ0प्र0 राज्य जो 25 अप्रैल, 2000 को निर्णीत हुआ इसके अनुपालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 योजित हो चुकी थी। इस याचिका में 28 जनवरी, 2004 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर निर्देश दिया गया जो चिकित्सक ज़िलों में सेवायें देंगे वे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तथा जो संस्थायें प्रमाणपत्र जारी करेंगी वे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के यहां पंजीयन करायेंगी।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा इस न्यायालय आदेश का स्वागत किया गया और प्रत्यावेदन शासन को प्रस्तुत किया इसमें अभी कार्यवाही चल ही रही थी कि 01 जून, 2004 के शासनादेश के विरूद्धयोजित याचिका का निर्णय दिनांक 11–10–2010 को हो गया जिसका अनुपालन करते हुए भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने दिनांक 21 जून,2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु आदेश जारी कर सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि वह आदेश दिनांक 25–11–2003 व 5–5–2010 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्देश मानें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के लम्बित प्रतिवेदन को निस्तारित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग –6 ने एक कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच–6–10– 23 रिट/11 दिनांक 4 जनवरी, 2012 जारी किया जिसकी प्रति अन्य के साथ समस्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पृष्ठांकित की गयी है, इस आदेश को शासकीय आदेश के अनुसार परिचालित कराने हेतु समस्त अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा दिनांक 2–9–2013 को प्रत्र प्रेषित किया गया। शासनादेश दिनांक 4 जनवरी, 2012 द्वारा प्रदत्त अधिकार को बोर्ड अधिकार दिवस के रूप में मनाता है आज हम इस आदेश की चौथी वर्षगांठ मना रहे हैं और इसी 4 जनवरी के आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारिता की उपेक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपके सारगर्भित विचारों से हम किसी ठोस नतीजे पर पहुँचेंगे। डा0 इदरीसी के इस तथ्यपरक उदबोधन का हॉल में उपस्थित चिकेत्सकों ने करतल ध्वनि से स्वागतकिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने बताया कि हम लोग प्रति वर्ष कार्यक्रम कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेते, अधिकार प्राप्त हुये चार वर्ष हो गये पर इसका आनन्द अभी तक नहीं लिया जा पा रहा है इसके लिये जितनी सरकार ढीली है उससे कम ढीले हमारे चिकित्सक भी नहीं हैं इसीलिये इस वर्ष अधिकार दिवस के इस कार्यक्रम में हम एक परिचर्चा भी कर रहे हैं जिसका विषय है .....

'अधिकारिता की उपेक्षा'

हम प्रत्येक वक्ता से यह निवेदन करते है कि प्रत्येक वक्ता विषय पर ही अपने विचार दे जिससे कि भावी रणनीति तय की जा सके कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये लखनऊ के डा0 आर0 के0 कपूर ने कहा कि चिकित्सक इसलिये परेशान नहीं है क्योंकि वह जमकर एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करता है और यदि धोखे से कभी उनको कोई नोटिस भी मिल गई तो वह ले–दे कर अपना काम चला लेते हैं बोर्ड को चहिये कि एक 2–3 आदमियों की निगरानी कमेटी बनाये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखे तथा अवैधानिक कार्य कर रहे चिकित्सकों की जानकारी बोर्ड कार्यालय को दे और बोर्ड को चाहिये कि ऐसे चिकित्सकों का पंजीयन तत्काल रद्द कर दे।

कार्यक्रम के अगले वक्ता के रुप में अपने विचार प्रकट करते हुये लखीमपुर से पधारे डा0 आर0 के0 श्र्मा ने कहा कि सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिये तभी काम बनेगा जब हमारे ऊपर बोर्ड के चेयरमैन का हाथ है तो हमें डरने की क्या ज़रुरत ! डरकर काम नहीं होता है जितने भी अधिकार मिले हैं कम हों या ज़्यादा ठीक हैं इसपर हॉल में तालियां बजीं संचालक महोदय ने चार पंक्तियों से कर्तव्य की याद दिलाई .....

ईश्वर का दिया कुछ अल्प नहीं होता।
जो टूट जाये वह संकल्प नहीं होता।।
हार को कभी करीब आनें नहीं देना।
क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता।।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शुभचिन्तक श्री के0 के0 वत्स ने कहा कि मैने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कार्यप्रणाली को बहुत नज़दीक से देखा है यह एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है इसे अधिकार भी मिल चुका है और यदि राज्य सरकार द्वारा काम करने में अड़ंगा लगाया जाता है तो यह उचित नहीं है इसका प्रतिकार होना ही चाहिये, कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि डा0 बाचस्पति त्रिवेदी पूर्व निदेशक प्रभारी केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं सदस्य केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद ने अपने विचार देते हुये कहा कि मैने देखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों से ही आदेश प्राप्त हैं ऐसी स्थिति में चिकित्सकों को अधिकारपूर्वक कार्य करना चाहिये कार्यक्रम को अपने विचार देते हुये कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डा0 शमीम अहमद सदस्य भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0 प्र0 ने कहा कि अधिकार आसानी से नहीं मिला करते हैं! अधिकारों के लिये क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ता है!! इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जो अधिकार प्राप्त हैं काम करने के लिये कम नहीं हैं इसी के आधार पर चिकित्सक कार्य करें और यदि कोई विभागीय कार्यवाही होती है तो उसका डटकर विरोध होना चाहिये साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के अधिकारियों को चाहिये कि वे सरकार के सामने संस्थान की गतिविधियों की पूरा विवरण रखें जिससे कि सरकारी बोर्ड के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके। मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुये प्रोफेसर डा0 रमेश दीक्षित ने कहा कि अधिकारिता पा जाने मात्र से सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, मैंने यह जाना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों द्वारा कार्य करने के अधिकार प्राप्त हैं, सर्वोच्च न्यायालय की भी सकारात्मक सहमति है, इसके उपरान्त भी यदि शासन में बैठे अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है तो यह कतई स्वीकार योग्य नहीं है।

गाँव व कसबों में जो अप्रशिक्षित चिकित्सक कार्य कर रहे हें उनकी तुलना में इलेक्ट्रो होम्योपैथ शिक्षित–प्रशिक्षित होने के साथ–साथ वैधानिक अधिकार भी प्राप्त है ऐसी स्थिति में इनके कार्यों में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के संचालकों को चाहिये कि एक प्रतिनिधिमण्डल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले और अपनी समस्या से अवगत करायें मैं हर स्तर से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाजसेवी व इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हितेक्षु श्री भय्या जी ने कहा कि मेरा जुड़ाव इलेक्ट्रो होम्यापैथी से बहुत पुराना है और मैने इलेक्ट्रो होम्यापैथी के उतार चढ़ाव को देखा है, जनपद में जितने इलेक्ट्रो होम्यापैथ हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है मैं सी0 एम0 ओ0 से बात करुँगा और ज़रुरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से इ अधिकारियों की शिकायत भी करुँगा, इस तरह कार्यक्रम अगले कार्यक्रम तक के लिसे स्थगित कर दिया गया, संचालक महोदय ने कहा कि आज का कार्यक्रम समाप्त की घोषणा नहीं हो रही है क्योंकि यह एक विचार है इसपर लगातार चर्चा होती रहनी चाहिये, कार्यक्रम में लखनऊ, कानपुर, अम्बेदकर नगर, हरदोई, प्रतापगढ़, घाटमपुर, फतेहपुर, रायबरेली, लखीमपुर के चिकित्सकों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद व प्रभारी डा0 सन्तोष कुमार मिश्रा एवं लखनऊ कार्यालयप्रभारी श्री नसीम इदरीसी का विशेष योगदान रहा, कार्यक्रम का संचालन डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने किया, कार्यक्रम के संयोजन में श्री मुहम्मद खालिद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाजसेवी व इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हितेक्षु श्री भय्या जी ने कहा कि मेरा जुड़ाव इलेक्ट्रो होम्यापैथी से बहुत पुराना है और मैने इलेक्ट्रो होम्यापैथी के उतार चढ़ाव को देखा है, जनपद में जितने इलेक्ट्रो होम्यापैथ हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है मैं सी0 एम0 ओ0 से बात करुँगा और ज़रुरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से इन अधिकारियों की शिकायत भी करुँगा, इस तरह कार्यक्रम अगले कार्यक्रम तक के लिसे स्थगित कर दिया गया, संचालक महोदय ने कहा कि आज का कार्यक्रम समाप्त की घोषणा नहीं हो रही है क्योंकि यह एक विचार है इसपर लगातार चर्चा होती रहनी चाहिये, कार्यक्रम में लखनऊ, कानपुर,अम्बेदकरनगर,हरदोई, प्रतापगढ़,घाटमपुर,फतेहपुर, रायबरेली,लखीमपुर के चिकित्सकों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद व प्रभारी डा0 सन्तोष कुमार मिश्रा एवं लखनऊ प्रभारी श्री नसीम इदरीसी का विशेष योगदान रहा,कार्यक्रम का संचालन डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने किया, कार्यक्रम के संयोजन में श्री मुहम्मद खालिद का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी।